निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2025	12.6.2025	5/2/26

1. दिनेश चन्द पुत्र दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर
2. मनोज कुमार पुत्र दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर
3. महेश चन्द पुत्र दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर
4. सन्तो पत्नि स्व0 दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर
5. प्रेम पत्नि महाराजसिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. अंकित कुमार पुत्र वीरसिंह, जाट निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री एस0एल0चौधरी, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 2135 रकबा 1.79 है0 ग्राम श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण सं0 1 ता 4 का 1/8, 1/8 तथा प्रार्थिया सं0 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी इस खातेदारी की भूमि ख0नं0 2135 को रिकार्डेड रास्ता 2118 रकबा 0.26 है0 गै0मु0रास्ते में होकर अपनी खातेदारी की भूमि के लगवां अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 2133 रकबा 0.09 है0, 2134 रकबा 0.13 है0, 2135/3290 रकबा 0.50 है0 में होकर पूर्व से निकल रहे रास्ता 16 फीट में होकर आते जाते रहे हैं। यह एकमात्र रास्ता है जिसे नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है किन्तु पिछले कुछ समय से अप्रार्थी सं0 1 के मन में बदनियति पैदा हो गई इसलिए उसने दि0 10.10.2024 को प्रार्थीगण के इस आवागमन के रास्ते को [illegible] कर दिया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 2135 में पहुंचने [illegible] एकमात्र रास्ता है, उक्त रास्ते के अलावा और कोई [illegible] प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी की भूमि को आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं हैं [illegible] में जाने वाली भूमि [illegible] वैधानिक रूप से डी0एल0सी0 रेट के अनुसार मुआवजा राशि अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:35:35 IST
Reason: SelfAttested

1 को देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 2135 रकबा 1.79 है0 ग्राम श्यारौली में आने जाने के लिए ख0नं0 2133, 2134, 2135/3290 ग्राम श्यारौली में होकर नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाए गए रास्ते की भूमि को 16 फीट चौडाई में दिया जाकर उक्त रास्ते की भूमि को सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि से प्रार्थीगण को अवगत कराया जावे जिससे प्रार्थीगण मुआवजा राशि प्रस्तुत कर सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 2133, 2134, 2135/3290 में होकर प्रार्थीगण के ख0नं0 2135 में आने जाने के लिए पूर्व में या वर्तमान में कोई रास्ता नहीं रहा है तथा ख0नं0 2113 जिसको प्रार्थीगण आम रास्ता बताते हैं, वह प्रार्थीगण की खातेदारी ख0नं0 2135 से काफी दूर है जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिए पूर्व से ही आम रास्ता ख0नं0 2050 बना हुआ है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 2147 से सटा हुआ है जिसको प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर छिपाया गया है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के खेत से ख0नं0 2150 गै0मु0चाह लगा हुआ है जो मौके पर आम रास्ता ख0नं0 2050 से लगा हुआ है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को तंग करने की नियत से उसकी खातेदारी भूमि में होकर गैरकानूनी रूप से आम रास्ते की मांग की है जबकि उनके खेत में आने जाने के लिए पूर्व में ही ख0नं0 2050 आम रास्ता मौजूद है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्तों का अधिकार तब मांगा जाता है जब आपके पास अपनी सम्पत्ति तक पहुंचने के लिए कोई अन्य रास्ता उपलब्ध ना हो जबकि इस मामले में प्रार्थीगण की भूमि पूर्व से ही आम रास्ता ख0नं0 2050 से लगी हुई है व गै0 मु0चाह ख0नं0 2150 जो आम रास्ते से लगा हुआ है से लगी हुई है। प्रार्थीगण का खेत ख0नं0 2147 आम रास्ते से लगा हुआ है जिसको छिपाकर प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय को मुगालते में रख कर बिना अधिकार के जबरन कानून का दुरूपयोग करके अप्रार्थी को तंग करने की नियत से झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 1, खाता संख्या 367, खाता संख्या 1113, खाता संख्या 1368, नकल नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2024.02.15 16:35:35 IST
Reason: SelfAttested

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 ने नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार वजीरपुर ने उनके कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2025/1019 दिनांक 6.11.2025 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण भूमि ख0न0 2135 के खातेदार काश्तकार है। इस पर आने जाने के लिए प्रार्थीगण ख0न0 2133, 2134, 2135/3290 मे होकर रास्ता चाहते है जो प्रार्थीगण के खेत तक पहुचने के लिए नजदीकतम रास्ता है। प्रार्थीगण इसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. दर से राशि भी भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ख0न0 2133, 2134, 2135/3290 में होकर 16 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने के लिए दिया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी के ख0न0 2133, 2134, 2135/3290 में होकर कभी कोई रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण अपने खेत ख0नं0 2135 में वाहन आदि आम रास्ता ख0नं0 2050 में होकर लाते ले जाते रहे हैं अर्थात पूर्व से ही प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का रास्ता ख0नं0 2050 में होकर मौजूद है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावें । अप्रार्थी के वकील ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार वजीरपुर के पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1019 दिनांक 6.11.2025 के साथ प्राप्त भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 2133, 2134 से रास्ता ख0नं0 2135 को चाहा गया है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार ख0नं0 2133, 2134 व 2135/3290 के बाद ख0नं0 2135 तक पहुंचता है जिसकी दूरी राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ता ख0नं0 2069 से 72 मीटर है। ख0नं0 2135/3290 में प्रार्थीगण द्वारा रास्ता नहीं चाहा गया है। ख0नं0 2135 तक पहुंचने हेतु राजस्व रेकार्ड के रास्ते ख0नं0 2050 जो कि मौके पर चालू है से ख0नं0 2147 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है में 30 मीटर व अप्रार्थीगण के ख0नं0 2148 रकबा 0.19 है0 किस्म गै0मु0पाल में 8 मीटर कुल 38 मीटर की दूरी पर है। ख0नं0 2149 रकबा 0.70 है0 में से ख0नं0 2135 तक पहुंचने हेतु ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:35:35 IST
Reason: SelfAttested

2149 में कुल दूरी 40 मीटर है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खातेदारी भूमि में से सबसे कम दूरी का रास्ता ख0नं0 2147 व 2148 कुल दूरी 38 मीटर है जिसमें ख0नं0 2148 की किस्म गै.0मु0पाल है। अन्य कम दूरी का रास्ता ख0नं0 2149 से 2135 तक दूरी 40 मीटर है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दूरी का है। अतः नियमानुसार कम से कम दूरी का रास्ता दिया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार वजीरपुर के पत्र क्रमांक भू0अ0/ 2025/1019 दिनांक 6.11.2025 के साथ प्राप्त भू–अभिलेख निरीक्षक सेवा व पटवारी हलका श्यारौली की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में होकर चाहा जा रहा है वह अधिक दूरी का रास्ता है एवं प्रार्थीगण के पास कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 251(ए) आर0टी0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/2/26 को सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:35:35 IST
Reason: SelfAttested